मैनेजमेंट कोटा के ज़रिए प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना

क्रम सं.	मानदंड	मानदंडों के ब्योरे
1.	**लक्ष्य ग्राहक समूह और पात्रता मानदंड**	**क.** आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारत में रहनेवाला होना चाहिए. **ख.** मैनेजमेंट कोटा से पक्का दाखिला. **ग.** मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत पक्का दाखिला क्योंकि वे योग्यता कोटे के तहत पात्र नहीं हुए/हुई हैं.
2.	**पात्र पाठ्यक्रम**	कोई भी रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम जो भारत में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रस्तावित हों तथा उन्हें संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों जैसे एआईसीटीई, यूजीसी, आदि का अनुमोदन प्राप्त हो.
3.	**वित्त की राशि**	अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपये तक सीमित.
4.	**चुकौती की शर्तें**	<u>अधिस्थगन अवधि</u> पाठ्यक्रम की अवधि + छः माह. अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज लगाया जाएगा. चुकौती अवधि अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 84 ईएमआई.
5.	**ऋण मार्जिन**	कार्यक्रम की कुल लागत का 5% चाहे ऋण राशि और पाठ्यक्रम का स्थान कोई भी हो.
6.	**प्रतिभूति**	प्रतिभूति अनिवार्य है चाहे ऋण राशि कितनी भी हो. प्रतिभूति भूमि/बिल्डिंग/एलआईसी पॉलिसी/आईडीबीआई बैंक के पास रखे गए फिक्स डिपॉज़िट के रूप में हो सकती है. ऋण मंजूर करते समय संपार्श्विक मूल्य मंजूर की गई ऋण राशि का कम से कम 1.33 गुना होना चाहिए. संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित भूमि कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए. दी जानेवाली संपार्श्विक प्रतिभूति की जानकारी के लिए कृपया अपनी नज़दीकी शाखा/खुदरा आस्ति केंद्र (आरएसी) से संपर्क करें.
7.	**व्ययों के लागू शीर्ष**	पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए संबद्ध सभी व्ययों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. संबद्ध व्ययों का वर्गीकरण निम्नानुसार है: क. कॉलेज/स्कूल/होस्टल को देय शुल्क. ख. परीक्षा/ पुस्तकालय/ प्रयोगशाला शुल्क. ग. पुस्तकों/ उपकरणों/ यंत्रों / गणवेश की खरीद. घ. कॉशन डिपॉज़िट/बिल्डिंग फंड/वापस किया जानेवाला डिपॉज़िट जिनके लिए संस्था के बिल/ रसीदें हों- इस शर्त पर कि यह राशि पूरे पाठ्यक्रम के कुल शुल्क के 10% से अधिक न हो. ङ. कम्प्युटर की खरीद-पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जरूरी. च. पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यय - जैसे अध्ययन दौरा, परियोजना कार्य, थीसिस आदि. छ. उधारकर्ता विद्यार्थी हेतु बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो. टिप्पणी: ङ और च शीर्ष के अंतर्गत अधिकतम व्यय पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए देय कुल ट्यूशन शुल्क के 20% तक सीमित होगा.
8.	**प्रोसेसिंग शुल्क**	न्यूनतम 1000 रुपये की शर्त पर आवेदित ऋण राशि का 1% + लागू सेवा कर
9.	**प्रभार**	संवितरण से पहले संस्थान बदलना : 500 रुपये.
10.	**समयपूर्व अदायगी मानदंड**	एक वर्ष में अधिकतम 4 बार समयपूर्व अदायगी की जा सकती है . न्यूनतम राशि कम से कम 25,000 रुपये. किसी भी स्थिति में वर्ष के दौरान समयपूर्व अदायगी की कुल राशि वर्ष के आरंभ में बकाया ऋण के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

11.	**समयपूर्व अदायगी प्रभार**	ईएमआई शुरू होने की तारीख से छः महीने बाद समयपूर्व अदायगी करने पर कोई समयपूर्व अदायगी प्रभार नहीं. ईएमआई शुरू होने की तारीख से छ : महीने पहले समयपूर्व अदायगी करने पर समयपूर्व अदायगी की राशि पर 2% का प्रभार लगेगा.
12.	**दांडिक प्रभार**	अतिदेय अवधि और अतिदेय राशि पर 2%.
13.	**चुकौती का तरीका**	केवल स्थायी अनुदेश (एसआई).
14.	**सह-आवेदक**	सह-आवेदक अनिवार्य है चाहे ऋण राशि कितनी भी हो. सह-आवेदक अधिमानत: माता-पिता/अभिभावक हों. यदि माता-पिता/अभिभावक कमा नहीं रहे हों तो कोई अन्य कमाऊ सदस्य जिसके साथ संबंध की पुष्टि हो सके . यदि माता-पिता/अभिभावक जीवित हैं तो उन्हें परिवार के किसी अन्य कमाऊ सदस्य के साथ सह-आवेदक रहना चाहिए. यदि पिता की आय का कोई साधन न हो और मां उपार्जक हों तो मां को सह -आवेदक के रूप में लेना चाहिए.
15.	**दस्तावेज़**	1. पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म. 2. उधारकर्ता से घोषणा/शपथ पत्र लिया जाए कि उन्होंने अन्य बैंकों से शिक्षा ऋण नहीं लिया है. क. आवेदक: - आयु का प्रमाण - एक नवीनतम फोटो - पहचान का प्रमाण अर्थात् मतदान आई कार्ड/पैन कार्ड/आधार कार्ड - पते का प्रमाण-स्थायी और अस्थायी दोनों के लिए - अंतिम अर्हता परीक्षा की अंक सूची - प्रवेश का प्रमाण, छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति आदि - विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए व्यय अनुसूची ख <u>सह-आवेदक :</u> - पिछले चार महीने का प्रमाणित बैंक खाता विवरण - पहचान का प्रमाण अर्थात् मतदान आई कार्ड/पैन कार्ड/आधार कार्ड - पते का प्रमाण-स्थायी और अस्थायी दोनों के लिए - आयु का प्रमाण - रोजगार सह व्यवसाय का प्रमाण आय सह व्यवसाय का प्रमाण: वेतनभोगी - पिछले 2 माह की वेतन पर्ची + फॉर्म 16 स्वरोजगार करने वाले-(1) अनुसूचियों के साथ पिछले 2 वित्तीय वर्ष का लाभ हानि खाता और तुलन पत्र; (2) पिछले 2 वर्षों की आय कर विवरणियाँ.